क्रम–संख्या–253

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 26 सितम्बर, 2013

आश्विन 4, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1037/79-वि-1–13-1(क)-13-2013

लखनऊ, 26 सितम्बर, 2013

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2013 पर दिनांक 24 सितम्बर, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2013 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2013

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2013)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 19 जुलाई, 2013 का प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1976 की धारा 3 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में,–

(क) उपधारा (8) में, परन्तुक में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

"(क) अध्यक्ष के मामले में सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो; और"

(ख) उपधारा (8-क) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात :–

"(8-ख) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा यथा संशोधित उपधारा (8) के उपबंध उक्त अधिनियम के प्रारम्भ पर अध्यक्ष का पद धारण करने वाले पर भी लागू होंगे।"

निरसन एवं अपवाद

3-(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2013) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1976) का अधिनियमन उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त लोक सेवकों के रोजगार से सम्बन्धित मामलों के संबंध में विवादों के न्याय-निर्णयन के लिए अधिकरण के गठन हेतु प्रावधान करने के लिए किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 3 में अधिकरण के गठन के लिए प्रावधान किया गया है। इस धारा में, अन्य बातों के साथ–साथ, यह प्रावधान किया गया था कि अध्यक्ष का पद धारण करने हेतु अधिकतम आयु 67 वर्ष होगी। सामान्य रूप से अधिकरणों में अध्यक्ष का पद धारण करने की आयु सीमा 70 वर्ष है तथा अध्यक्ष पद पर प्रायः मा0 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति नियुक्त किए जाते हैं जिन्हें न्यायिक कार्य करने का व्यापक एवं विस्तृत अनुभव होता है उक्त आधार पर अधिकरण के अध्यक्ष का पद धारण करने हेतु अधिकतम आयु 70 वर्ष होनी चाहिए। सम्यक् विचारोपरान्त यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके उक्त अधिकरण के अध्यक्ष का पद धारण हेतु अधिकतम आयु 67 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी जाय।

चूंकि राज्य विधान मंडल सत्र में नही था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2013 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2013) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
एस०के० पाण्डेय,
प्रमुख सचिव।

No. 1037(2)/LXXIX-V-1-13-1(Ka)-13-2013

Dated Lucknow, September 26, 2013

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Seva (Adhikaran) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2013 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 15 of 2013) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 24, 2013.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (TRIBUNAL) (AMENDMENT) ACT, 2013

(U.P. Act no. 15 of 2013)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) Act, 1976.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force on July 19, 2013.

Amendment of section 3 of U.P. Act no. 17 of 1976

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal)Act, 1976 hereinafter referred to as the principal Act,—

(a) in sub-section (8), in the proviso *for* clause (a) the following clause shall be *substituted,* namely :—

"(a) in the case of Chairman, the age of seventy years; and"

(b) *after* sub-section (8-a) the following sub-section shall be *inserted,* namely :—

"(8-b) The provisions of sub-section (8) as amended by the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) (Amendment) Act, 2013 shall apply also to the Chairman holding office on the commencement of the said Act.

U.P Ordinance no. 9 of 2013

Repeal and saving

3. (1) The Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) (Amendment) Ordinance, 2013 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) Act, 1976 (U.P. Act no. 17 of 1976) has been enacted to provide for the constitution of tribunals to adjudicate disputes in respect of matters relating to employment of all public servants of the State of Uttar Pradesh. Section 3 of the said Act provides for the constitution of the tribunal. This section *inter alia* provided that the maximum age for holding the office of

the Chairman shall be sixty seven years. Generally the maximum age for holding the office of the Chairman of the Tribunal is seventy years and usually the retired judge of the Hon'ble High Court having wide and extensive experience of judicial work is appointed to the office of the Chairman. On the said basis the maximum age for holding the office the Chairman of the said tribunal should be seventy years. After due consideration is was decided to amend the said Act to increase the maximum age for holding the office of the Chairman of the said tribunal from sixty seven years to seventy years.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) (Amendment) Ordinance, 2013 (U.P. Ordinance no. 9 of 2013) was promulgated by the Governor on July 19, 2013.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
S.K. PANDEY,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 449 राजपत्र–2013–(961)–599 प्रतियां(कम्प्यूटर / टी0 / आफसेट)।
पी0एस0यू0प0–ए0पी0 80 सा0 विधा0–2013–(962)–500 प्रतियां(कम्प्यूटर / टी0 / आफसेट)।

449 RPH 2013